4/ग्रा0/108/15

संख्या- 563/33-3/2015-1/2008

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग -3 लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2015

विषय:- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के छः जनपदों में संचालित की जा रही ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने विषयक।

महोदय,

उक्त [illegible] है कि सम्पूर्ण प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना [illegible] इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से [illegible] को उपलब्ध कराने का निर्णय [illegible] का निदेश हुआ है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट [illegible] से निम्नलिखित सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक [illegible] से उपलब्ध कराया जाना है :-

(क) जन्म प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।
(ख) मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) निंगत किया जाना।

उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गत कराने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से आवेदन कराना अनिवार्य है:-

1. आवेदक कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र पर जाकर अथवा स्वंय ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन साफ्टवेयर पर आनलाइन आवेदन कर सकता है।
2. आवेदक द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र पर जाकर आवेदन करने की स्थिति में आवेदन प्रकिया निम्न प्रकार से होगी:-
   (क) आवेदक कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के आपरेटर को निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) उक्त सेवाओं के लिए अनुरोध करेगा।
   (ख) आवेदक को अपने पहचान से संबंधित एवं ग्राम पंचायत सचिव(ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा प्रदत्त जन्म-मृत्यु पंजीकरण सूचना प्रस्तुत करना होगा।
   (ग) कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन से संबंधित ई-फार्म में भरा जायेगा।
   (घ) आवेदक द्वारा फार्म उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि हेतु भरे हुए प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालकर उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लेगा। आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन कर आपलोड किया जायेगा।
   (ङ) प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक को रू0 20/-यूजर चार्जेज के रूप में कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के आपरेटर को भुगतान किया जायेगा।
   (च) केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर जनरेटेड एक पावती रसीद, एकनालेजमेन्ट के रूप में जिस पर एक यूनिक नम्बर अंकित होगा तथा जिसका उपयोग भविष्य के सन्दर्भ हेतु किया जायेगा उपलब्ध कराया जायेगा।
   (छ) तदोपरान्त आवेदन फार्म को पोर्टल पर सबमिट कर निस्तारण के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

654

संयुक्त निदेशक

निदेशक

खण्ड-4

अथवा आनलाइन आवेदन करने की स्थिति में प्रकिया निम्नवत् होगी :-

(क) आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त संबंधित ई-फार्म में इन्ट्री करेगा, उसका प्रिन्ट आउट निकालेगा एवं उस पर अपने हस्ताक्षर लगाकर उसको अन्य आवश्यक संलग्नकों सहित पोर्टल पर अपलोड करेगा, तत्पश्चात वह रसीद को डाउनलोड करेगा।

(ख) ऑनलाइन मोड में आवेदक यूजर चार्जेज के रूप में शुल्क दस रूपयें पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आन लाइन ही भरने के उपरान्त आवेदन सबमिट करेगा। तदोपारान्त इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

3. ग्राम पंचायत के लिए सम्बंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को प्रत्येक कार्य दिवस में लॉगइन करके, यह देखेंगे [illegible] जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन-पत्र लम्बित तो नही है।

5. ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन डेटाबेस द्वारा एम.आई.एस. रिपोर्ट के माध्यम से यह मालूम हो जायेगा कि आवेदक का विवरण पहले से डेटाबेस में है या नहीं। अगर आवेदक का विवरण डेटाबेस में है, तो ए0डी0ओ0 (पंचायत) [illegible] स्वीकार कर उस पर डिजिटल हस्ताक्षर कर जन्म/मृत्यु प्रमाण [illegible] निर्गत [illegible] ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के डेटाबेस में आवेदक का विवरण पहले से ना होने की स्थिति में सम्बन्धित [illegible] सचिव को जाच के लिए प्रेषित करेगा।

6. ग्राम पंचायत सचिव ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर लागइन करेगा तथा अपने इनबाक्स मे उपलब्ध आवेदनों को देखेगें।

7. प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्नकों की वैद्यता एवं पूर्णता आदि की जांच के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी) जांच अधिकारी होंगे, जोकि प्रार्थना पत्रों से सम्बंधित जांच आख्या ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

8. ग्राम पंचायत सचिव जांचोपरांत ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा तथा उनको ए0डी0ओ0 (पंचायत) को प्रेषित करेगा।

9. ए0डी0ओ0 (पंचायत) सहमति की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार कर उस पर डिजिटल हस्ताक्षर कर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे । आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा अस्वीकृत करने के कारण का उल्लेख किया जायेगा।

10. आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति की स्थिति में आवेदक को सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से तथा अद्यावधिक सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर (आवेदन पत्र क्रमांक अंकित कर) प्राप्त की जा सकती है।

11. इस हेतु दी गयी निर्धारित समय सीमा के उपरान्त आवेदक अपने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित कॉमन सर्विस सेंटर/लोकवाणी केन्द्र से प्राप्त कर सकते है !

12. उपर्युक्त सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक माह की अवधि निर्धारित की जाती है।

13. जहां किसी का जन्म रजिकरण नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक के बालक के नाम रजिस्ट्रीकरण को जन्म के 12 माह के पश्चात किन्तु 15 वर्ष के भीतर कराने के आवेदन के साथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम 10 के अनुसार 5 रूपये का बिलम्ब शुल्क देना होगा।

14. आनलाइन आवेदक को आवेदन सही पाये जाने के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र/सेवा सूचना को आवेदक के रजिस्टर इनबाक्स पर "निस्तारित आवेदक लिंक" के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा। **यदि आवेदक द्वारा आवेदन कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया गया है, उस स्थिति में प्रमाण पत्र कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।**

...उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा प्रणाली को पारदर्शी बनाते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें एवं अन्य नियम पूर्ववत ही रहेंगे। इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए, ताकि आम नागरिक को कोमन सर्विस सेंटर/लोकवाणी केन्द्र अथवा आनलाइन माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय व सुगमता से प्राप्त हो सके।

आवेदक द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र आदि हेतु उक्त दी गयी फीस व यूजर चार्जेज कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने की स्थिति में उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक 15 दिन के उपरान्त संबंधित सहायक विकास अधिकारी (प0) को उपलब्ध करायेंगे, जो संबंधित सचिव के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम निधि–1 में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इस सम्बंध में पंचायती राज अनुभाग–3 से निर्गत शासनादेश सं0–2594/33–3–2009–[illegible] दिनांक 30 नवम्बर 2009 को तदनुसार संशोधित समझा जायगा।

भवदीय,

(विमल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- प्रमुख सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2 निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0, लखनऊ।
3 सम्बंधित मण्डलीय उपनिदेशक (प0), उत्तर प्रदेश।
4 सम्बंधित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0।
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विमल चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष सचिव